— Facility for remedial measures by way of diverting/blocking traffic on exceptional routes in the event of a major link failure or sudden spurt in traffic.

(c) The features started in para (b) above will result in optimum use of the junction network and consequent reduction in failure rate of calls.

मूल्य वर्धित सेवाएं

10. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में शुरु की जाने वाली पेजिंग और इलैक्ट्रॉनिक मेल सेवा जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए योजना को अंतिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नई दूरसचार नीति के लिए मार्ग-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इससे अलग-अलग राज्यों में ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार के संदर्भ में कौन-कौन सी कठिनाईयां सामने आने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने पेजिंग और इलैक्ट्रोनिक-मेल जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं पंजीकृत भारतीय कंपनियों को फ्रेंचाइज़ आधार पर देने का निर्णय लिया है। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ग) जी हां। मार्गदर्शी सिद्धान्तों को प्रति संलग्न विवरण–II में दी गई है। (नीचे देखिए)

(घ) इस संबंध में कोई कठिनाईयां आने की संभावना नहीं है।

विवरण –

निम्नलिखित सेवाओं को मूल्यवर्धित सेवाओं के रूप में पहचान की गई है :—

(i) रेडियो पेजिंग

(ii) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा

(iii) सेल्यूलर इलैक्ट्रानिक मेल

(iv) वायस मेल

(v) ऑडियोटैक्स सेवा

(vi) वी एस ए टी का उपयोग करते हुए 64 के बी पी एस डेटा सेवा

(vii) वीडियो टैक्स सेवा

(viii) वीडियो कानफ्रेंसिंग

लाइसेंस के अंतर्गत इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए भारतीय पंजीकृत कंपनियों द्वारा रेडियो पेजिंग तथा सेल्यूलर मोबाइल सेवा के अतिरिक्त अन्य सेवाओं के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं। लाइसेंस, गैर-विशिष्ट आधार पर प्रदान किये जाएंगे। इन सेवाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं तथा उनका लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है।

विभाग द्वारा निविदा आधार पर रेडियो पेजिंग तथा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। यह इस कारण से है कि आवृति स्पेक्ट्रम की सीमाओं के कारण सीमित प्रचालनों को ही अनुमति दी गई है।

वर्तमान मूल्यवर्धित सेवाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :—

सेवा	साइन किये गये लाइसेंस अनुबंध	जारी किये गये आशय पत्र	अभ्युक्तियां
इ-मेल	10	1	
वायस मेल/	1	7	
विडियो कान्फ्रेंसिंग	—	1	
64 केबीपीएस डाटा . . .	8	3	
नेटवर्क (वीएसएटी)			
रेडियो पेजिंग (27 बड़े नगर*) . .	13	2	
रेडियो पेजिंग	—	15	
(27 नगरों के अतिरिक्त क्षेत्रीय सर्किल)			
सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (4 महानगर-बंबई, दिल्ली-कलकत्ता एवं मद्रास) . . .	8	—	
सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (4 महानगरों के अतिरिक्त क्षेत्रीय सर्किल) . . .	—	—	निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं और निविदाओं को 31.3.95 तक खोला जाएगा।

*27 बड़े नगरों की सूची (रेडियो पेजिंग सेवा)

1. बंबई	2. दिल्ली	3. कलकत्ता	4. मद्रास
5. बंगलौर	6. पुणे	7. हैदराबाद	8. लुधियाना
9. पटना	10. कानपुर	11. जयपुर	12. चंडीगढ़
13. लखनऊ	14. इंदौर	15. वाराणसी	16. एर्नाकुलम
17. कोयम्बटूर	18. त्रिवेन्द्रम	19. मदुरै	20. अहमदाबाद
21. सूरत	22. राजकोट	23. बडोदरा	24. अहमदाबाद
25. नागपुर	26. अमृतसर	27. विशाखापतनम	

विवरण–II

भारत सरकार

दूरसंचार विभाग

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994—मूलभूत दूरसंचार सेवाओं में निजी क्षेत्र के प्रवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में दूरसंचार सेवाओं के तीव्र विस्तार विश्वस्तरीय मानकों से प्रतियोगिता, निजी क्षेत्र का प्रवेश, नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत और मूल्यवर्धित सेवाओं के विस्तार की व्यवस्था है।

2. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के योजनाबद्ध तथा तेजी से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, निजी क्षेत्र द्वारा मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शी-सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

(1) लाइसेंस प्राधिकारी

मूलभूत दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक कम्पनियां लाइसेंस प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग को आवेदन कर सकती हैं।

2. साम्या (इक्विटी) भागीदारी

भारत में पंजीकृत कम्पनियों को ही मूलभूत वायस टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने में भागीदारी की अनुमति प्रदान की जाएगी। किसी भारतीय और विदेशी कम्पनी के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित होने की स्थिति में, 49% से अधिक की विदेशी इक्विटी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. प्रचालनों की भौगोलिक क्षेत्र

निजी क्षेत्र को लाइसेंस प्रदान करने का कार्य सर्किल आधार पर किया जाएगा। दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त प्रत्येक सर्किल को केवल एक लाइसेंस दिया जाएगा।

निजी क्षेत्र को पहली बार लम्बी दूरी के दूरसंचार नेटवर्क (अर्थात् राष्ट्रीय तथा सर्किलों के बीच लम्बी दूरी की लाइनों) के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। पांच वर्ष के पश्चात् इस स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

4. विनियामक प्राधिकरण

(I) स्थिति

एक भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (टी आर ए आई) का गठन किया जाएगा। टी आर ए आई एक स्वायत्त निकाय होगा।

(II) विचारार्थ विषय

प्राधिकरण के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे।

(1) निर्धारित विन्यास (स्टैंडर्ड सैन्टिंग)

(2) मूल्य विनियमन

(3) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता सुनिश्चित करना।

(4) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच राजस्व हिस्सेदारी का प्रबंध।

(5) अभिगमन प्रभारों का निर्धारण ।

(6) विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में ग्राहकों के हितों की रक्षा करना।

(क) सम्पर्क का समय

(ख) मरम्मत का समय

(ग) खराबियों का बार-बार उत्पन्न होना।

(घ) काल पूर्णत दर

(ङ) उचित बिल बनाने की व्यवस्था।

(7) सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों का निपटान करना।

(8) सेवा प्रदाताओं के बीच स्थानीय तथा दूरसंचार विभाग के लम्बी दूरी के सर्किट प्रदान करने के लिए समय सीमा के बारे में स्पष्ट रूप से बताना/इसका पालन सुनिश्चित करना।

(9) सरकार द्वारा भेजा गया कोई भी अन्य मामला।

(iii) संरचना

अध्यक्ष तथा दो सदस्य

(5) अग्रगामी परियोजनाएं

अग्रगामी परियोजनाएं, वे परियोजनाएं हैं, जिनमें नई प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्ध तकनीकें लाने की परिकल्पना की गई हैं और जिनमें सामान्यतः विदेशी निवेश शामिल होता है। 49% से कम की विदेशी इक्विटी वाली परियोजनाओं को ही अनुमति दी जाएगी।

अग्रगामी परियोजनाएं कम घनत्व लेकिन वृद्धि की अधिक संभावना रखने वाले दूरसंचार क्षेत्रों में ही स्वीकार की जाएंगी। अग्रगामी परियोजनाओं में लाई गई प्रौद्योगिकी अन्तर्राष्ट्रीय रूप से आधुनिक होनी चाहिए जो भारत में प्रयोग में न रही हो। मूलभूत सेवाएं प्रदान करने वाली पार्टी को वरीयता दी जाएगी।

अग्रगामी परियोजनाओं को मूलभूत वायस सेवाएं प्रदान करने के लिए गुप्त रूप से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएंगी।

अग्रगामी परियोजनाएं लगाने के प्रस्तावों की समीक्षा दूरसंचार विभाग द्वारा की जाएगी। दूरसंचार विभाग की सिफारिशों को विदेशी निवेश के लिए अधिकार प्राप्त समिति को अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी।

6. निविदाएं

निविदा दस्तावेज व्यौरेवार और स्वतःपूर्ण होंगे। जबकि तकनीकी बोलियों में आवश्यक होने पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। वित्तीय बोलियों के संबंध में बातचीत करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

7. लाइसेंस की अवधि

लाइसेंस प्राधिकारी सरकार होगी। लाइसेंस की अवधि आमतौर से 15 वर्ष होगी।

8. नेटवर्क और सेवा बाध्यता

नेटवर्क तथा लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति की सेवाबाध्यताओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताने के लिए एक मानक दस्तावेज तैयार किया जाएगा।

9. दण्ड

बहुसंख्यक सेवा प्रदाताओं को देखते हुए ग्राहकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से सेवा प्रदाता ग्राहकों को निर्धारित स्तर/गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना और सरकार द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट अन्य बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंग, ऐसा न करने पर उन्हें कानून के तहत निर्धारित दण्ड दिया जाएगा।

दूरसंचार सेवाओं का उदारीकरण

11. श्री अजीत जोगी :
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विशेषज्ञों ने दूरसंचार सेवाओं के उदारीकरण की सिफारिश की है ;